राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 866/2011/बीकानेर

मैसर्स जानकीदास रामप्रताप, बीकानेर। .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त–बीकानेर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई ,
उप राजकीय अधिवक्ता । .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 30.06.2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक **27.12.2010** के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जो अपील संख्या 399/आरवेट/बीकानेर/2009–10 के संबंध में है जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, बीकानेर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत् पारित आदेश दिनांक 17.03.2009 की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है ।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश पारित करते समय, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 31.03.2006 में अंतिम स्टॉक ₹93,817/– का क्लेम किया गया जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी का पूर्व आदेश दिनांक 27.12.2007 के जरिये ₹81,253/– का आगत कर का मुजरा स्वीकार किया गया था। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का पुनः अवलोकन कर, यह पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को चना व मोठ पर 2 प्रतिशत की दर से तथा अन्य दालों पर 4 प्रतिशत की दर से आगत कर की मुजरा राशि स्वीकार की गयी थी जबकि उक्त वस्तुओं पर दिनांक 08.05.2006 से कर दर 1 प्रतिशत की जा चुकी थी तथा राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति कमांक एफ.12(15) एफडी/टैक्स/2008–85 दिनांक 25.02.2008 के जरिये अधिनियम के तहत् जारी अनुसूची III, IV, V & VI में दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 31.03.2007 तक किये गये समस्त संशोधन दिनांक 01.04.2006 से प्रभावित किये जाने के कारण स्वीकृत किये गये आगत कर की मुजरा राशि के संबंध में जारी आदेश को परिशोधित करने हेतु नोटिस जारी किया गया । जारी नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे अस्वीकार कर, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा चाहे गये आगत कर की मुजरा राशि ₹25,304/– को अस्वीकार कर, अनुवर्ती ब्याज की मांग राशि ₹4,800/–

लगातार.....2

कायम कर, आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व मे स्वीकृत आगत कर की मुजरा राशि को राय परिवर्तन के आधार पर अस्वीकार किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है । कथन किया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के स्टॉक का अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । अतः अपने उक्त तर्क के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । इस संबंध में विदित है कि अधिनियम के प्रवृत होने की तिथि दिनांक 01.04.2006 को शेष रहे स्टॉक पर आगत कर का मुजरा प्रदान करने संबंधी प्रावधान अधिनियम की धारा 19 में विहित है, जिसका मूल पठन इस प्रकार है:–

अधिनियम की धारा 19.- **Input tax credit for stock on the date of commencement of this Act.**– *Input tax credit shall be allowed on the goods other than capital goods, which had suffered tax under the repealed Act, and are lying in stock of the dealer on the date of commencement of this Act, provided that such dealer has submitted the details of such stock, as required by the Commissioner under section 93 of the repealed Act or section 91 of this Act, and such goods in stock are used for the purposes specified in clauses (a) to (f) of sub–section (1) of section 18.*

However, the input tax credit under this section shall be allowed to the extent of the tax paid under the repealed Act or the amount of tax payable on such goods under this Act, whichever is less."

उक्त प्रावधानों में स्पष्ट है कि आगत कर का मुजरा निरसित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के तहत् स्टॉक पर अदा किये गये कर की राशि तक अथवा इस अधिनियम के तहत् उक्त वस्तुओं (स्टॉक में शेष रहे) पर कर

लगातार.....3

देय की राशि तक (जो भी कम होगी) तक देय होगा। हस्तगत प्रकरण के संबंध राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 25.02.2008 से विदित होता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के तहत् जारी समस्त अधिसूचनाओं को दिनांक 01.04.2006 भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर, दलहन यथा चना दाल, मोठ दाल तथा मूंग दाल पर 1 प्रतिशत की कर की दर निर्धारित की गयी है। अतः प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 19 तथा उक्त जारी अधिसूचना के आलोक में, पूर्व में स्वीकृत आगत कर की मुजरा राशि को 1 प्रतिशत तक स्वीकृत करने के संबंध में आदेश दिनांक 17.03.2009 के द्वारा पूर्व में पारित आदेश को परिशोधित किया गया है। अतः दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

परिणामतः, अपील अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय प्रसारित किया गया।

30.6.2014

(मदन लाल)

सदस्य